कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 107/तकनीकी/2016

भोपाल, दिनांक 6.1.16

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय – भागीदारी तथा भागीदारी के विघटन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता का परीक्षण किये जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत भागीदारी एवं भागीदारी के विघटन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता निम्नानुसार है–

क. भागीदारी की लिखत–

(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपए 50,000 से अधिक नहीं हैं – दो हजार रूपए।

(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपए 50,000 से अधिक हैं – न्यूनतम दो हजार रूपए एवं अधिकतम दस हजार रूपए के अध्यधीन रहते हुए, अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत।

(ग) जहां अभिदाय का ऐसा शेयर स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है – ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत।

स्पष्टीकरण – जहां अभिदाय का ऐसा शेयर नकद में तथा स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है, वहां खण्ड (ख) तथा (ग) दोनों लागू होंगे।

ख. भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति–

(क) जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है – वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्रमांक 25) पर लगता है।

(ख) किसी अन्य मामले में – एक हजार रूपए।

कोई दस्तावेज, जिसे भागीदारी विघटन विलेख शीर्षक दिया गया हो, अपने वास्तविक स्वरूप में हस्तांतरण पत्र अथवा निमुर्क्ति विलेख भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रीकरण भी अनिवार्य होगा। सहायक पंजीयक, फर्म्स एवम् संस्थायें, महाप्रबंधक, जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा वाणिज्यिक कर विभाग आदि कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान ऐसे अनेक दस्तावेज प्राप्त हो सकते हैं, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित हों।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भागीदारी तथा भागीदारी विघटन विलेखों पर चुकाये गये स्टाम्प शुल्क के सत्यापन हेतु उपर्युक्त सभी कार्यालयों का दिनांक 18.01.2016 तक विशेष अभियान चलाकर स्वयं निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन के मार्फत दिनांक 20.01.2016 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 108 / तकनीकी / 2016

भोपाल, दिनांक 6-1-16

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इंदौर।
3. कमिश्नर, उद्योग, मध्यप्रदेश, विंध्याचल भवन, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवम् सोसाइटी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
6. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश